कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर

जलकर बन्दोबस्ती अल्पकालीन सूचना संख्या – 05 वर्ष 2026–27

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कमला वीयर एवं पश्चिमी मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से 1.74 तक मछली मारने हेतु बन्दोबस्ती नीचे दर्शायी गयी तिथि, समय एवं स्थान पर खुली डाक द्वारा की जायेगी :–

निलामी की शर्त्त निम्न प्रकार हैः–

1. निलामी में भाग लेने वाले प्रतिभागी को डाक में भाग लेने के पूर्व अपना फोटो युक्त पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति तथा सुरक्षित जमा राशि का 10 (दस) प्रतिशत जमानत की राशि के रूप में नगद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। निलामी समाप्त होने के उपरान्त असफल प्रतिभागी को उनकी जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल प्रतिभागी की जमानत की राशि को समायोजित कर ली जायेगी।
2. उच्चतम डाक बोलने वाले सफल प्रतिभागी को डाक समाप्ति के उपरान्त डाक की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए दूसरे उच्चतम डाक बोलने वाले प्रतिभागी को डाक आंवटित करने पर विचार किया जा सकता है।
3. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये डाक को रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. निलामी की निर्धारण तिथि 27.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वाहन से 02.00 बजे अपराहन तक की जाएगी। डाक पूर्ण नहीं होने पर दूसरी तिथि 30.06.2026 एवं डाक पूर्ण नहीं होने पर तीसरी तिथि 03.07.2026 होगी।

तिथिः–27.06.2026, 30.06.2026 **एवं** 03.07.2026	**समय :–11:00 बजे पूर्वाहन से 02.00 बजे अपराहन तक**	**स्थान :– कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर के कार्यालय भवन में।**

क्रम सं०	बन्दोबस्ती स्थल का नाम	निलामी की न्यूनतम राशि (रू० में)	जमानत की राशि (रू० में)	बन्दोबस्ती की अवधि
1	कमला वीयर एवं पश्चिमी मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से 1.74 तक मछली मारने हेतु बन्दोबस्ती	**4,00,000/–**	**40,000/–**	स्वीकृति की तिथि से 30.04.2027 तक

नोट :–

(क) मछली मारने का कार्य बिना सिंचाई सुविधा में व्यवधान पहुँचाये सम्पादित करना होगा।

(ख) नदी में पौण्डस्तर या उससे कम जल स्तर रहने पर मछली मारने के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर से अनुमति प्राप्त कर लेनी होगी।

(ग) जिस गेट को खोलकर मछली मारना है, उसकी अनुमति कार्यपालक अभियन्ता, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर से प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगी।

(घ) उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) की अवहेलना करने पर बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायेगी तथा पट्टेदार का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(ड.) मछली मारने के क्रम में संरचना को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी मरम्मति की लागत से पट्टेदार वसूल की जायेगी।

(च) विस्तृत सूचना बेवसाईट http. // tenders.bin.nic.in. तथा www.prd.bihar.org. पर देखी जा सकती है।

(छ) विषेश जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यपालक अभियन्ता, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर (मोबाईल नम्बर 7463889764 पर) सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

(ज) सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है। धर्म–ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।

ह0/–
(ई0 अमोद कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर।

पत्रांक :– 669 /जयनगर, दिनांकः– 16-06-2026

प्रतिलिपि :–सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2, जल संसाघन विभाग, पटना को जलकर बन्दोबस्ती अल्पकालीन सूचना की हिन्दी में एक प्रति (हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों में) के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा किया जाय। साथ ही तीन दैनिक समाचार पत्र में दो दिन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

16/6/26

(ई0 अमोद कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर।
मो0 :– 7463889764

16/06/2026